3

समावेशी शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

अखिलेश यादव*

समाज का विकास मानवीय क्षमता के विकास पर निर्भर करता है। समाज में विकास के लिए सभी का सहयोग वांछित है। शिक्षा, समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा को व्यक्ति की दक्षता बढ़ाने का साधन ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने सामाजिक जीवन-स्तर में सुधार के लिए भी आवश्यक माना जाता है। भारत में दिव्यांगों की संख्या अधिक है और इनके विकास के बिना देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। भारत में दिव्यांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था का एक बदलता स्वरूप दिखाई दे रहा है वो है — 'समावेशी शिक्षा'।

समावेशी शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि एक माध्यम भी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक होती है और जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि सभी युवा चाहे वे सक्षम हों या विभिन्न रूप से सक्षम उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए एक समान स्कूल–क्रेच/पूर्व प्राथमिक विद्यालय, स्कूलों और सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। यह सिर्फ़ लचीली शिक्षा प्रणाली से ही संभव है। भारत में दिव्यांग से संबंधित कानूनी प्रावधानों के इतिहास का प्रारंभ वर्ष 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से माना जाता है जिसमें यह कहा गया था कि दिव्यांगता यदि विशेष विद्यालय के अनुकूल है तभी दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। इसी बात पर कोठारी आयोग (1966–68) ने भी ज़ोर दिया और दिव्यांग लोगों की शिक्षा को शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग माना। भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत के लिए 'दिव्यांगों के लिए समेकित शिक्षा' योजना 1970 के दशक में प्रारंभ की गयी, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना व शैक्षिक अवसर प्रदान करने के साथ ही साथ सभी स्तर पर उन्हें समुदाय से जोड़ना था। इसके बाद अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गयीं, परंतु समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 महत्वपूर्ण है जब एन.सी.ई.आर.टी. ने *विद्यालयी शिक्षा के लिए*

**शोधार्थी*, शिक्षा शास्त्र विभाग, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

पाठ्यचर्या राष्ट्रीय की रूपरेखा 2000 में समावेशी विद्यालयों पर बल दिया। भारत में समावेशी शिक्षा के लिए वर्ष 2009 महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी वर्ष 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया गया, जिसमें 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए 'सलमांका सम्मलेन' 1994 मील का पत्थर साबित हुआ। यह सम्मेलन जून 1994 में स्पेन के सलमांका शहर में आयोजित हुआ जिसमें 92 देशों के प्रतिनिधियों व 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मलेन का प्रमुख निर्णय था 'सभी के लिए शिक्षा जिसमें बच्चे, युवा और विशेष आवश्यकता वाले लोगों (दिव्यांगों) को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करना।'

यूनेस्को (2016) के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो —

1. यह विश्वास करती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकताएँ होती हैं।
2. जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
3. जो औपचारिक शिक्षा से बाहर है और घर, समुदाय एवं विद्यालय से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देती है।
4. अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करती है, ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि वह शिक्षा जिसमें दिव्यांग एवं अन्य सामान्य विद्यार्थी को एक साथ एक ही कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाये। जिससे दिव्यांग विद्यार्थी समाज में आसानी से समायोजित हो जाएँ। जैसा कि *एन.सी.एफ़. 2005* में बतलाया गया है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों के जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिलें।

यूनिसेफ़, यूनेस्को की रिपोर्ट, एन.सी.एफ़. 2000 एवं 2005 में बतलाया गया है कि समावेशी शिक्षा में दिव्यांग (शारीरिक दिव्यांग, दृष्टि बाधित दिव्यांग, वाक् बाधित दिव्यांग, स्वलिनता, सीखने की अक्षमता युक्त दिव्यांग), शैक्षिक पिछड़े, भाषायी अल्पसंख्यक, सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, जनजातीय बच्चे, घुमंतू समाज के बच्चे, कामकाजी समूह के बच्चे आदि शामिल हैं।

विद्यार्थी एवं शिक्षक — समावेशी शिक्षा

स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं। जिससे इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फ़ायदा होता है उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ़ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं, लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। इसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज़रूरत समय या मदद की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए। इसीलिए योजना बनाते समय, शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है।

सभी प्रकार के बच्चों जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर (गरीब), कामकाजी बच्चों को शामिल कर, सुदूर ग्रामीण बच्चे, घुमंतू जनजाति के बच्चे, किसी निदिर्ष्टि स्थान पर रहने वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, भाषायी अल्पसंख्यक और सीखने की अक्षमता युक्त बच्चों आदि को समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षा की कक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के दृष्टिकोण (अभिवृत्ति) एवं व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। राम (2014) ने अपने शोध कार्य में पाया कि शिक्षकों का दिव्यांग विद्यार्थियों से प्रश्न न पूछना एवं उनके गृह कार्य की जाँच को अन्य विद्यार्थियों के समान न करना, इस प्रकार का व्यवहार इन बच्चों को बहिष्करण की तरफ धकेलता है। शिक्षकों का इस प्रकार का दृष्टिकोण एवं व्यवहार समावेशी शिक्षा के गठन एवं सफल संचालन में कठिनाई उत्पन्न करता है। सामान्यतः शिक्षक का दृष्टिकोण एवं व्यवहार दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है शिक्षक इस प्रकार के विद्यार्थियों को अन्यों से कमज़ोर समझता है या उसकी यह अधूरी समझ होती है कि यह विद्यार्थी सीख नहीं सकते। जिससे ये बच्चे कक्षा में होते हुए भी अपने को कक्षा से अलग पाते हैं। ज़्यादातर शिक्षक दिव्यांग एवं अन्य इस प्रकार के विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। कलाम (2013) ने अपने शोध में बतलाया कि शिक्षकों को सहानुभूति के बजाय समानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे ये विद्यार्थी अपने आप को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों से भिन्न नहीं समझें। समानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण दिव्यांगों को अन्य विद्यार्थियों के समान मज़बूत बनने में सहायक होता हैं, जिससे समावेशी शिक्षा में कक्षा

की सीखने-सिखाने की प्रक्रिया एक पक्षीय न होकर द्विपक्षीय हो जाएगी।

शिक्षण अधिगम प्रकिया — समावेशी शिक्षा

एन.सी.एफ़. 2005 में समावेशी कक्षा शिक्षण के संबंध में बतलाया गया है कि 'रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री/ गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं (अनुभव)। पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद-विवाद, व्यावहारिक प्रयोग व ऐसा चिंतन जिससे सिद्धांत बन सकें और विचार/स्थितियों की रचना हो सके ये सभी बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं।'

स्कूली शिक्षा में अधिगम का एक बड़ा हिस्सा अब भी व्यक्ति-आधारित है। अध्यापकों को 'ज्ञान' हस्तांतरित करने वालों के रूप में देखा जाता है। अध्यापकों को उन अनुभवों का आयोजक समझा जाता है जो बच्चों के सीखने में सहायक होते हैं। समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया के संबंध में यूनेस्को, एन.सी.ई.आर.टी. ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझावों का वर्णन किया है जैसे कि यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में समावेशी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रकिया हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं —

1. कक्षा का वातावरण सीखने के लिए स्वस्थ एवं भेदभाव रहित हो।
2. शिक्षण विधि रोचक हो एवं विभिन्न उम्र समूह के अनुकूल हो तथा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाली हो।
3. शिक्षण मुख्यतः गतिविधि आधारित हो।
4. सभी सीखने वाले बच्चों की आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध करायी जाए (दृष्टिबाधित दिव्यांग, श्रवण विकार दिव्यांग आदि को ध्यान रखकर)।
5. शिक्षक, अभिभावक और नागरिक साथ मिलकर कार्य करें।
6. कक्षा शिक्षण की भाषा बच्चे के अनुसार (मातृभाषा) हो।
7. सभी बच्चों का शिक्षण, सुरक्षात्मक, लैंगिक उत्तरदायी एवं उत्साहजनक वातावरण में हो।

एन.सी.ई.आर.टी.(2017) ने समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये —

- दृष्टि विकार दिव्यांग के शिक्षण हेतु — गैर दृष्टि आधारित तरीकों द्वारा सीखना, जैसे — स्पर्श वास्तविक, ठोस पदार्थ का प्रयोग। सुनना, जिसमें विस्तृत और वर्णनात्मक निर्देशों को अधिक उपयोग में लाना शामिल है। सुगंध और स्वाद — वास्तविक और ठोस पदार्थों की खुशबू और स्वाद का उपयोग करना। उपलब्ध विशेष शिक्षण सामग्री (ब्रेल, ट्रेलर फ्रेम और गणित, विज्ञान एवं अन्य किट) का उपयोग।
- श्रवण विकार दिव्यांग के शिक्षण हेतु— अन्य इंद्रियों का सीखने के माध्यमों के रूप में उपयोग (जैसे— इशारे, शारीरिक भाषा, हावभाव को पढ़ना), वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए दृश्य के रूप में सामग्री का उपयोग, सीखी जाने वाली सामग्री को ध्वनि आधारित जानकारी के रूप में उपयोग में लाने के लिए यह समझ बनाना ज़रूरी है कि इन बच्चों के लिए किस तरह से शिक्षण कार्य किया जाए।

- शारीरिक अक्षमता दिव्यांग के शिक्षण हेतु— कक्षाओं को सुलभ बनाएँ, परीक्षाओं को पूरा करने में अतिरिक्त समय दें, कक्षा में बैठने के सुलभ साधन उपलब्ध कराएँ, संप्रेषण के वैकल्पिक साधनों यथा—ऑडियो रिकॉर्डर, हाव-भाव का प्रयोग, कंप्यूटर का उपयोग आदि।

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण की संकल्पना सभी बालकों के समन्वित विकास पर आधारित होती है। अतः शिक्षक को कक्षा में उपस्थित बच्चों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। विभिन्न रूप से समक्ष (दृष्टिबाधित दिव्यांग, वाक्बाधित दिव्यांग, श्रवण ह्रास दिव्यांग आदि) बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनज़र शिक्षण में शिक्षक को वातावरण को रुचिकर बनाना, आकर्षक एवं उपयुक्त विभिन्न शिक्षण सामग्रियों आदि का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सभी बालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण कार्य जटिल प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा की कक्षा में विभिन्न रूप से सक्षम (शारीरिक, दृष्टबाधित, श्रवण ह्रास दिव्यांग) एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के क्षेत्र से बच्चे होते हैं, जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएँ होती हैं। समावेशी विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षक को विद्यार्थियों के अनुकूल शिक्षण विधि (सहकारी शिक्षण एवं परियोजना आधारित शिक्षण) का उपयोग किया जाना चाहिए। जिससें सभी विद्यार्थियों का सीखना संभव हो जाए। अतः यहाँ इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि मामूली अक्षमताओं से ग्रस्त जिन बच्चों को मुख्यधारा के बाहर रखा जाता है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ समावेशी शिक्षण पद्धति नियमित कक्षाओं में पहले से मौजूद ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों को भी लाभ पहुँचाती हैं जो मामूली से लेकर मध्यम दर्जे की सीखने की कठिनाइयों को अनुभूत करते हैं। इन कठिनाइयों को अधिकांशतः न तो पहचाना जाता हैं और न ही उनका समाधान किया जाता है। स्कूल में खराब प्रदर्शन के कारण इन बच्चों के स्कूल छोड़ देने का खतरा बना रहता है। वे कभी भी शैक्षणिक सफलता हासिल न कर सकने के अलावा अपने बड़े होने के पूरे दौर में सुधार न जा सकने वाले मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक आघातों से पीड़ित रहते हैं।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं—

1. कक्षा का वातावरण भेदभाव रहित सभी सीखने वाले के अनुकूल होना चाहिए जैसा *एन.सी.एफ़. 2005* में बतलाया गया है कि 'सावर्जनिक स्थल के रूप में स्कूल में समानता, सामाजिक विविधता और बहुलता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, साथ ही बच्चों के अधिकारों और उनकी गरिमा के प्रति सजगता का भाव होना चाहिए। इन मूल्यों को सजगतापूर्वक स्कूल के दृष्टिकोण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और उन्हें स्कूली व्यवहार की नींव बनना चाहिए। सीखने की क्षमता देने वाला वातावरण वह होता है जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ भय का कोई स्थान नहीं होता और स्कूली रिश्तों में बराबरी और जगह में समता होती है।'
2. कक्षा का शिक्षण व्यावहारिक ज्ञान से जोड़कर किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा की कक्षा

शिक्षण विधि के रूप में सहकारी शिक्षण, परियोजना आधारित शिक्षण एवं सहयोगात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. कक्षा शिक्षण में पाठ्यचर्या से जुड़ी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे— मॉडल, चार्ट, मानचित्र, ऑडियो-विडियो, कंप्यूटर एवं आई.सी.टी. (सूचना संप्रेषण तकनीकी) का उपयोग करें। साथ ही शिक्षण कक्षा शिक्षण के पहले इन सामग्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे।
4. कक्षा शिक्षण में विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) को अधिक से अधिक सीखने की सामग्री उपलब्ध कराई जाए, जैसे— दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल एवं श्रवण बाधित बच्चों को दृश्य आधारित सामग्री आदि।
5. सामान्य विद्यालय शिक्षकों को समावेशी शिक्षा को संदर्भ में रखकर प्रशिक्षण प्रदान किये जाएँ, उन्हें समावेशी शिक्षा प्रतिमान हेतु कक्षा शिक्षण दक्षता से युक्त बनाया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम को समावेशी शिक्षा के संदर्भ में रखकर परिवर्तन की आवश्यकता है।
6. स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या का पुनर्विकास एवं पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि *एन.सी.एफ़. 2005* में इस बात का वर्णन किया गया है कि वर्तमान पाठ्यचर्या को समावेशी शिक्षा के अनुकूल निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण कार्य छात्रों के अनुरूप एवं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाए। शिक्षण इस प्रकार से हो कि जो विद्यार्थियों को उनके घरेलू ज्ञान से जोड़कर दिया जाए। समावेशी कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित की तरफ बढ़नी चाहिए। छात्रों को सक्रिय अन्वेषक की तरह विकसित होना चाहिए और इसके लिए प्रेरक विचारों को बढ़ावा देने की रणनीति बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इस रणनीति का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को खोजी शिक्षण के जरिए सभी छात्रों को उचित अनुभव, नियमों के विश्लेषण और सिद्धांत मुहैया कराने की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षण और कक्षा में विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए लचीलापन लाए जाने को लेकर एन.सी.ई.आर.टी. ने हाल ही में पाठ्यक्रम अनुकूलन पर प्राथमिक पठन सामग्री तैयार की है। यह पठन सामग्री इस सोच पर आधारित है कि शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों को अर्थपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराएँ। सरल भाषा और अभिव्यक्ति का प्रयोग करें जो सभी छात्रों के लिए महत्व रखे। इस पठन सामग्री में कई उदाहरणों से बताया गया है कि कैसे समावेशी कक्षा में मौजूदा शिक्षण पद्धति को बदला जाए और छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने वाला और इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए जाए।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2000. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000*. एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली. पृष्ठ 31, 73, 74 और 91.

——— 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली. पृष्ठ 28 – 31, 92, 96, 122 –124 और 135.

——— 2015. *इनक्लूडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स*, एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली. पृष्ठ 36, 59 और 106.

——— 2017. *विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन —प्राथमिक स्तर*. एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली. पृष्ठ 21, 46 और 95.

कलाम, अब्दुल. 2013. 'समावेशी शिक्षा और शिक्षक'. *खोजे और जानें*. अंक 7. विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर. पृष्ठ 33.

चडढा, अनुप्रिया. 2016. 'भारत में समावेशी शिक्षा की रूपरेखा'. *योजना*. अंक 1. प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली. पृष्ठ 33.

दास, अनामिका. 2015. 'समावेशी शिक्षा की राह में रूकावटें'. *लर्निंगकर्व*. अंक 11. अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरू, पृष्ठ 76–79.

मोहन, पेगी. 2016. 'समावेशी कक्षा में अध्ययन'. *शैक्षिक संदर्भ*. **अंक 71– 80.** प्राप्ति स्रोत https://www.eklavya.in.

यादव, अखिलेश. 2018. *उच्च प्राथमिक कक्षाओं का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन*. अप्रकाशित शोध.

यूनेस्को. 1994. *द सलमांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फ़ॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन*. यूनेस्को, सलमांका, स्पेन.

——— 2005. *गाइडलाइन फ़ॉर इनक्लूज़न — इनस्यारिंग एसेस टू एजुकेशन फ़ॉर ऑल*. यूनेस्को, पेरिस. पृष्ठ 102.

——— 2009. *टूवर्ड इनक्लूसिव एजुकेशन फ़ॉर चिल्ड्रेन विद डिसेएबिलिटी — गाइडलाइन*. यूनेस्को, *बैकांक*. पृष्ठ 40 – 89 और 122.

——— 2016. *एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी*. यूनेस्को, नयी दिल्ली. पृष्ठ 146.

यूनिसेफ़, 2003. *एग्ज़ाम्पल ऑफ़ इनक्लूसिव एजुकेशन इंडिया*. यूनिसेफ़, काठमांडू. पृष्ठ 45, 63.

राम, 2014. 'समावेशी शिक्षा के मायने', *खोजे और जानें*. अंक 8, विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर, पृष्ठ 45.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय. 2014. अधिगम एवं शिक्षण (बी.एड.) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय. कोटा, राजस्थान.

सिंघल, निधि. 2013. 'विकलांग बच्चों की शिक्षा', *योजना*, अंक 2. प्रकाशन विभाग, नयी दिल्ली, पृष्ठ 21– 23.

सिंह, अजय कुमार. 2008. 'भारत में समावेशी शिक्षा का स्वरूप'. *परिप्रेक्ष्य*. अंक 1. नीपा, नयी दिल्ली. पृष्ठ 81.

सिंह, रजनी रंजन. 2014. 'भारत में समावेशी शिक्षा की दशा और दिशा'. *परिप्रेक्ष्य*. अंक 3. नीपा, नयी दिल्ली. पृष्ठ 01.